उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 6 अंक 24 16-31 दिसंबर 2023 ₹ 20/-

मस्जिद की आड़ में सरकार के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने का प्रयास

- पॉपुलर फ्रंट पर विदेशों से करोड़ों रुपये बटोरने का आरोप
- हूती हमलों को रोकने के लिए दस देशों का गठबंधन
- कतर द्वारा भारतीय नौसेना के आठ पूर्व अधिकारियों की फांसी पर रोक
- मुस्लिम संगठन इमारत-ए-शरिया में विभाजन

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

मस्जिद की आड़ में सरकार के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने का प्रयास 04
अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव पर प्रधानमंत्री के बयान पर निशाना 07
मुस्लिम लीग जम्मू-कश्मीर पर प्रतिबंध 10
कर्नाटक में हिजाब पर प्रतिबंध बरकरार 11
मुस्लिम संगठन इमारत-ए-शरिया में विभाजन 14
पॉपुलर फ्रंट पर विदेशों से करोड़ों रुपये बटोरने का आरोप 16
धन्नीपुर मस्जिद का निर्माण कार्य मई से प्रारंभ 18

विश्व

लाल सागर में हूती हमलों को रोकने के लिए दस देशों का गठबंधन 19
मालदीव ने किया भारत के साथ हुए समझौते को रद्द 20
इमरान खान के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध 22
बांग्लादेश में चुनाव से पहले सेना की तैनाती 23
पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई 24
अफगानिस्तान के लिए विशेष दूत की नियुक्ति पर सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पारित 25
आतंकी हाफिज सईद को भारत लाए जाने की चर्चा 26

पश्चिम एशिया

कतर द्वारा भारतीय नौसेना के आठ पूर्व अधिकारियों की फांसी पर रोक 27
अब्देल फतह अल-सिसी तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति निर्वाचित 28
सीरिया में इजरायली हवाई हमले में शीर्ष ईरानी कमांडर की मौत 30
सऊदी अरब में विदेशी हज यात्रियों का पंजीकरण प्रारंभ 31
ईरान में इजरायल के लिए जासूसी करने के आरोप में चार व्यक्तियों को फांसी 33

सारांश

यह सर्वविदित है कि भारतीय मुसलमान कुरान, इस्लाम और रसूल के मुद्दे पर जुनून की हद तक संवेदनशील हैं। इन्हीं मुद्दों की आड़ लेकर कुछ शातिर नेता भारतीय मुसलमानों को सरकार के खिलाफ भड़काने का काम करते रहे हैं। हाल ही में नई दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय और संसद भवन के नजदीक स्थित सुनहरी बाग मस्जिद के ध्वस्त किए जाने का मुद्दा भी ऐसे ही तत्वों ने उछाला था। हालांकि, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष ने यह स्पष्ट किया है कि इस संबंध में अभी तक कोई भी फैसला नहीं हुआ है। इसके बावजूद आने वाले चुनावों में इस मुद्दे को भुनाने के लिए मुस्लिम नेता मैदान में कूद पड़े हैं। इस मस्जिद के संरक्षण के लिए देश भर के उर्दू अखबारों में सुनियोजित ढंग से अभियान चलाया गया है। एक कट्टरपंथी मुस्लिम नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य मोहम्मद अदीब ने दिल्ली में इस मुद्दे पर मुस्लिम सांसदों का एक सम्मेलन बुलाने की भी घोषणा कर डाली है। अब यह मामला केवल सुनहरी बाग मस्जिद तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसमें कई अनेक विवादित मस्जिदों, दरगाहों आदि को भी शामिल करने का प्रयास किया गया है।

कर्नाटक में हिजाब का विवाद अभी तक शांत नहीं हुआ है। कांग्रेस ने राज्य विधानसभा के चुनाव में मुसलमानों के मतों के ध्रुवीकरण के लिए इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास किया था और यह घोषणा की थी कि अगर वह सत्ता में आई तो पार्टी कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा लेगी। इसके बाद एक जनसभा में राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने हिजाब पर लगे प्रतिबंध को हटाने की घोषणा भी कर दी। उनकी इस घोषणा का जोरदार विरोध भाजपा और हिंदूवादी संगठनों ने किया। इसके साथ ही भाजपा ने यह भी धमकी दी कि इस मुद्दे पर पूरे राज्य में जनांदोलन किया जाएगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में इसे मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा। इसके बाद सिद्धारमैया ने पलटी मारते हुए कहा कि अभी हिजाब के मामले पर कोई फैसला नहीं हुआ है और यह मामला अभी भी विचाराधीन है। मुस्लिम संगठन और उर्दू अखबार बार-बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी राज्य के स्कूलों में हिजाब पर लगे प्रतिबंध को हटाने के अपने वायदे को पूरा करे, ताकि मुसलमानों का विश्वास कांग्रेस और उसकी सरकार पर बरकरार रह सके।

हूती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में इजरायल और उसके समर्थक देशों के व्यापारिक जलयानों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। इसे देखते हुए अमेरिका ने यह घोषणा की है कि इस क्षेत्र में जलयानों के यातायात को अबाध रूप से जारी रखने के लिए दस देशों का एक गठबंधन बनाया गया है। इन देशों के नौसैनिक संयुक्त रूप से इस क्षेत्र में पेट्रोलिंग का काम करेंगे। हूती विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इन्हें गुप्तचर सूत्रों से प्राप्त होने वाली सूचनाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस गठबंधन में कौन-कौन से अरब देश शामिल होंगे। यह तथ्य सर्वविदित है कि हूतियों को ईरान का खुला समर्थन प्राप्त है। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि इन हमलों की योजना न केवल ईरान द्वारा तैयार की जाती है, बल्कि उन्हें इसके लिए अस्त्र-शस्त्र और अन्य साधन भी उपलब्ध कराए जाते हैं। हालांकि, ईरान ने अमेरिका के इस आरोप का खंडन किया है। इसके अतिरिक्त हूतियों ने हाल ही में एक अन्य खतरनाक कदम उठाया है। उन्होंने इजरायल पर हमला करने के लिए यमन के युवकों को भर्ती करने का काम शुरू कर दिया है। इस संबंध में यमन की राजधानी साना में नवप्रशिक्षित सैनिकों की दो सैन्य परेडों का भी आयोजन किया गया है। अमेरिका ने इस पर गहरी चिंता प्रकट की है।

हाल ही में मोदी सरकार को एक कूटनीतिक सफलता मिली है। कतर की एक अदालत ने भारतीय नौसेना के जिन आठ पूर्व अधिकारियों को जासूसी के आरोप में फांसी की सजा दी थी उसे उम्रकैद में बदल दिया गया है। गौरतलब है कि नौसेना के ये पूर्व अधिकारी कतर की एक निजी कंपनी में नौकरी करते थे। इन्हें इजरायल के लिए कथित रूप से जासूसी करने के आरोप में एक साल पहले गिरफ्तार किया गया था। जानकार सूत्रों का दावा है कि भारत सरकार यह भी प्रयास कर रही है कि इनकी सजा में और भी कमी करवाई जाए।

मस्जिद की आड़ में सरकार के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने का प्रयास

इन दिनों देशभर के उर्दू अखबारों में नई दिल्ली स्थित सुनहरी बाग मस्जिद को ध्वस्त करने की कथित योजना की आड़ में केंद्र सरकार के खिलाफ जबर्दस्त दुष्प्रचार का अभियान चलाया जा रहा है।

इंकलाब (26 दिसंबर) ने अपने मुख्य समाचार का शीर्षक दिया है, 'ऐतिहासिक सुनहरी बाग मस्जिद को ध्वस्त करने की तैयारी, सिर्फ खानापूर्ति बाकी'। इस समाचार में यह दावा किया गया है कि नई दिल्ली स्थित 150 साल पुरानी सुनहरी बाग मस्जिद को ध्वस्त करने की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। अब सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने इस संबंध में जनता से सुझाव मांगा है। गौरतलब है कि मस्जिद के आसपास ट्रैफिक में होने वाली परेशानी का बहाना बनाते हुए दिल्ली के ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर ने इस मस्जिद को ध्वस्त करने के बारे में एनडीएमसी को एक पत्र लिखा था। इसके बाद एनडीएमसी की एक टीम ने इस मस्जिद की जांच भी की थी। मुस्लिम नेताओं के हरकत में आने के बाद इस मामले को अदालत में ले जाया गया था और अदालत ने यथास्थिति को बरकरार रखने का आदेश दिया था।

बताया जाता है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है। वक्फ बोर्ड के मुकदमों की पैरवी करने वाले वरिष्ठ वकील वजीह शफीक ने इंकलाब के प्रतिनिधि को बताया कि उच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में यथास्थिति को बरकरार रखने का निर्देश दिया था। बाद में वक्फ बोर्ड के निर्देश पर एक अन्य वकील ने इस याचिका को यह कहते हुए वापस ले लिया था कि सरकार कानून विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इसके बाद इस मामले को मजहबी कमेटी के पास भेज दिया गया, जिसमें सरकार के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। वक्फ बोर्ड ने मजहबी कमेटी

में अपनी बात को मजबूती से रखने के बजाय एक आम कर्मचारी को अपना दृष्टिकोण रखने के लिए भेज दिया और कमेटी ने इस कर्मचारी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। बाद में इस कथित कमेटी ने यह दावा किया कि इस मस्जिद को ध्वस्त करने के बारे में निर्णय हो गया है।

रोजनामा सहारा (28 दिसंबर) ने कहा है कि सुनहरी बाग मस्जिद को ध्वस्त किए जाने की संभावना के समाचार प्रकाशित होने के बाद देश भर के मुसलमानों में हड़कंप मच गया है। अब मजहबी कमेटी और दिल्ली वक्फ बोर्ड अपने ढुलमुल रवैये की वजह से सवालों के घेरे में आ गया है। वहीं, केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और एनडीएमसी के रवैये पर भी प्रश्नचिन्ह लग रहे हैं। सवाल यह उठता है कि क्या एक हेरिटेज बिल्डिंग को ध्वस्त करना उनके अधिकार क्षेत्र में आता है? इस विषय पर एनडीएमसी के अध्यक्ष अमित यादव से स्पष्टीकरण भी मांगा गया। उन्होंने कहा कि इस मस्जिद के संबंध में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लिखे पत्र पर जनता से राय मांगी गई है और निर्धारित समय पर उनकी राय आ जाएगी। इसके बाद इसे हेरिटेज कमेटी को भेज दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह एक हेरिटेज इमारत है, इसलिए इसको ध्वस्त करने का फैसला एनडीएमसी नहीं ले सकती। इस संबंध में फैसला लेने का अधिकार सिर्फ हेरिटेज विभाग के पास है। उन्होंने कहा कि इस मामले को मजहबी कमेटी के पत्र के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें दिल्ली पुलिस, दिल्ली वक्फ बोर्ड और उच्च न्यायालय के निर्देशों का हवाला दिया गया है।

गौरतलब है कि उद्योग भवन के सामने गोल चौराहे पर स्थित सुनहरी बाग मस्जिद को ध्वस्त करने के बारे में हाल ही में एनडीएमसी की ओर से एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें एक जनवरी 2024 तक जनता से राय मांगी गई थी। एनडीएमसी के मुख्य वास्तुकार द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत इस क्षेत्र को पुनर्विकसित किया जा रहा है और ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस मस्जिद को वर्तमान स्थान से हटाने पर भी विचार किया जा रहा है। गौरतलब है कि 18 दिसंबर 2023 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनहरी बाग मस्जिद को ध्वस्त किए जाने की आशंकाओं के बारे में दिल्ली वक्फ बोर्ड की याचिका पर कार्रवाई रोक दी थी, क्योंकि एनडीएमसी ने कहा था कि याचिकाकर्ता की आशंकाओं का कोई आधार नहीं है।

इंकलाब (21 दिसंबर) के अनुसार जमीयत उलेमा के अध्यक्ष अरशद मदनी ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि हम हर कीमत पर मस्जिद को बरकरार रखने के पक्ष में डटे रहेंगे।

इंकलाब (20 दिसंबर) के अनुसार बरेलवी संप्रदाय के नेता और इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा है कि हमने बाबरी मस्जिद को खो दिया है और देश में शांति बरकरार रखने के लिए अदालत के फैसले को मान लिया है, लेकिन अब हम किसी भी मस्जिद को नहीं खोएंगे।

इंकलाब (27 दिसंबर) के अनुसार जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने घोषणा की है कि वे दिल्ली की सुनहरी मस्जिद की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक जाएंगे।

इत्तेमाद (29 दिसंबर) के अनुसार ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एनडीएमसी के मुख्य वास्तुकार को पत्र लिखकर मांग की है कि दिल्ली की सुनहरी मस्जिद को हटाने के फैसले को वे तत्काल वापस लें। मस्जिद एक वक्फ इमारत है।

इत्तेमाद (30 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में सुनहरी बाग मस्जिद को ध्वस्त करने के फैसले की निंदा की है और कहा है कि दिल्ली की

सुनहरी बाग मस्जिद वक्फ बोर्ड की उन 123 संपत्तियों में शामिल है, जिनके बारे में अदालत ने किसी भी तरह की कार्रवाई करने पर प्रतिबंध लगा रखा है। समाचारपत्र ने कहा है कि इस मस्जिद के नजदीक स्थित 200 वर्ष पुराने मजारों को एनडीएमसी पहले ही ध्वस्त कर चुकी है। इससे पहले भी केंद्र सरकार की सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत आने वाली पांच ऐतिहासिक मस्जिदों को हटाने के संबंध में चर्चा शुरू हुई थी, मगर मुसलमानों के विरोध को देखते हुए इस मामले को खटाई में डाल दिया गया था। अब सुनहरी बाग मस्जिद के बारे में अखबारों में नोटिस प्रकाशित होने के बाद एक नया विवाद शुरू हो गया है।

हमारा समाज (27 दिसंबर) के अनुसार जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर यह मांग की है कि इस मस्जिद को हटाने के फैसले को तत्काल वापस लिया जाए, क्योंकि इससे भारत की साझी संस्कृति के ताने-बाने को भारी क्षति पहुंचेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस फैसले का विरोध किया है और कहा है कि इस साजिश को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा और मुसलमान इसका डटकर मुकाबला करेंगे।

हमारा समाज (28 दिसंबर) के अनुसार ऐतिहासिक सुनहरी मस्जिद को बचाने के लिए राज्यसभा के पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब ने मोर्चा संभाल लिया है। शाही इमाम अहमद बुखारी भी इस मस्जिद की रक्षा के लिए सक्रिय हो गए हैं। शीघ्र ही इस संदर्भ में मुस्लिम सांसदों की एक बैठक बुलाई जा रही है, ताकि इस मस्जिद को बचाने के लिए देश भर में संयुक्त अभियान छेड़ा जाए।

मुंबई उर्दू न्यूज (27 दिसंबर) ने अपने संपादकीय का शीर्षक दिया है, 'सुनहरी मस्जिद पर बुरी नजर'। संपादकीय में कहा गया है कि देश से मुस्लिम संस्कृति और उसकी पहचान को मिटाने के लिए जो अभियान छेड़ा गया है उसने अब और भी भयंकर रूप धारण कर लिया है। अब हिंदुत्ववादी टोला मुस्लिम इमारत को हटाने के लिए किसी भी अदालत से अनुमति लेने तक को जरूरी नहीं समझता। यहां पर बात किसी इमारत की नहीं है, बल्कि एक मस्जिद की है। यह मस्जिद 150 साल पुरानी है। सुनहरी बाग मस्जिद को हटाने के फैसले से देशभर के मुसलमानों में भारी बेचैनी फैली हुई है।

समाचारपत्र ने कहा है कि हिंदुत्ववादी देश भर में फैले हुए इस्लामी चिन्हों को मिटाने का अभियान चला रहे हैं। समाचारपत्र ने देशभर के मुसलमानों से अपील की है कि वे इस मस्जिद की रक्षा के लिए एकजुट हों और अदालतों का दरवाजा खटखटाएं। इसके साथ ही सरकार पर दबाव डालें और प्रधानमंत्री से मिलकर उन्हें इस हकीकत के बारे में अवगत कराएं कि कानूनी मस्जिद को ध्वस्त करना कोई खेल नहीं है।

उर्दू टाइम्स (28 दिसंबर) ने अपने मुख्य समाचार का शीर्षक दिया है, 'मथुरा, काशी के बाद अब देशभर की 40 अन्य मस्जिदें निशाने पर'। 'हिंदू संगठन सनातन संघ का ऐलान इन्हें अयोध्या की तर्ज पर आजाद करवाया जाएगा'।

अवधनामा (29 दिसंबर) के अनुसार सुनहरी बाग मस्जिद के मामले में एनडीएमसी के

नोटिस की निंदा करते हुए जमात-ए-इस्लामी ने कहा है कि वह इस संदर्भ में अदालत का दरवाजा खटखटाएगा। जमात-ए-इस्लामी का कहना है कि इस मस्जिद के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय का एक फैसला आया था। इस फैसले में यह आश्वासन दिया गया था कि इस मस्जिद को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, मगर इसके बावजूद एनडीएमसी ने इसे ध्वस्त करने के बारे में अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित करके जनता से राय मांगी है।

अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव पर प्रधानमंत्री के बयान पर निशाना

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (22 दिसंबर) के अनुसार ब्रिटिश अखबार 'फाइनेंशियल टाइम्स' को दिए एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बात से इंकार किया है कि उनकी सरकार में अल्पसंख्यकों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव किया जाता है। देश में मुसलमानों की स्थिति के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश के संविधान में किसी भी तरह के संशोधन करने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि जब पारसियों को उनके मूल स्थान से भागने पर विवश किया गया तो भारत ने उन्हें शरण दी। पारसी समुदाय के लोग भारत में बहुत ही खुशी के साथ रह रहे हैं और वे देश की आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारतीय समाज में किसी भी अल्पसंख्यक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। उन्होंने भारत को मुसलमानों के लिए स्वर्ग भी बताया।

प्रधानमंत्री के इस बयान पर टिप्पणी करते हुए **अवधनामा** (23 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि देश के संविधान ने बिना किसी भेदभाव के अल्पसंख्यकों के लिए सभी क्षेत्रों में विकास के समान अवसर प्रदान किए हैं। हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में हमारे प्रधानमंत्री ने भारत की भूमि को मुसलमानों के लिए स्वर्ग करार दिया है। पत्रकार ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा था कि भारत में मुसलमानों का भविष्य क्या है? मोदी ने कहा कि उनके आलोचक उनके खिलाफ बेबुनियाद दुष्प्रचार कर रहे हैं, जो तथ्यों पर आधारित नहीं है।

मुंबई उर्दू न्यूज (22 दिसंबर) ने अपने संपादकीय का शीर्षक दिया है, 'मोदी के दावे की हकीकत'। समाचारपत्र ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ब्रिटिश अखबार को दिए इंटरव्यू में यह दावा किया है कि हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए स्वर्ग जैसा है। यहां वे शांति और प्रसन्नता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जबकि विश्व के कई भागों में उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। अगर प्रधानमंत्री का यह दावा सही है तो आज हिंदुस्तान के मुसलमान शिक्षा, व्यापार और समाज में जिस स्थिति में हैं, क्या उससे बेहतर स्थिति उनकी नहीं हो सकती थी? अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो यह साफ है कि शिक्षा के क्षेत्र में मुसलमान पिछड़े हुए हैं। आर्थिक क्षेत्र में तो दलितों से भी ज्यादा पिछड़े हुए हैं। अंग्रेजी अखबार 'द हिंदू' की एक रिपोर्ट के अनुसार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 18-23 वर्ष की उम्र के मुस्लिम नौजवानों की संख्या साढ़े आठ प्रतिशत घटी है। 2019-20 में यह संख्या 21 लाख थी, जो 20-21 में घटकर 19 लाख 12 हजार हो गई। ऐसा क्यों हुआ? इस सवाल का जवाब बेहद आसान है। यह सब सरकार की नीतियों के कारण हुआ है।

समाचारपत्र का कहना है कि किसी भी देश में पिछड़े हुए वर्ग के उत्थान की जिम्मेवारी सरकारी नीतियों पर होती है। वह ऐसी योजनाएं और नीतियां बना सकती है, जिससे पिछड़ों के विकास की राह में आने वाली अड़चनें दूर हो सकती हैं और उन्हें शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में समाज के अन्य वर्गों के बराबर बढ़ने का मौका मिल सकता है। अगर आजादी के बाद से अब तक की सरकारी नीतियों का विश्लेषण किया जाए तो सरकार ने सिर्फ एक काम किया है और वह है अल्पसंख्यकों और खासकर मुसलमानों को हर क्षेत्र में विकास से वंचित रखना। देश के संविधान में इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मुसलमानों को शिक्षा और रोजगार दलितों व पिछड़े वर्गों की तरह प्राप्त हो सके। अगर इस देश में दलित आगे बढ़े हैं तो उसका कारण यह है कि उनके लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था है, जिनमें रोजगार, शिक्षा और सरकारी नौकरियां भी शामिल हैं। मुसलमान, जिनमें दलित और पिछड़े वर्ग के मुसलमान भी शामिल हैं उन्हें इस आरक्षण से वंचित रखा गया है।

समाचारपत्र का दावा है कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद देश में मुसलमानों की स्थिति और भी खराब हुई है। मुसलमानों के लिए आर्थिक सहायता और छात्रवृत्तियों की योजनाएं बंद कर दी गई हैं। जब मुसलमानों को पढ़ने लिखने की सुविधा ही नहीं होगी तो वे तरक्की कैसे करेंगे? जब वे तरक्की ही नहीं करेंगे तो देश को उनके लिए स्वर्ग कैसे कहा जा सकता है। रही बात सुरक्षित रहने की तो मॉब लिंचिंग से लेकर सांप्रदायिक दंगों तक में मुसलमानों के साथ क्या नहीं किया जाता। अब तो उनके घरों को भी बुलडोजर से ध्वस्त किए जाने का अभियान चल रहा है। इतना ही नहीं उन्हें बार-बार यह अहसास दिलाया जाता है कि देश के विभाजन के लिए वही दोषी हैं और वे गद्दार हैं। अब क्योंकि वे गद्दार हैं तो उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। यह है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दावे की हकीकत। हालांकि, मोदी चाहें तो प्रधानमंत्री होने के नाते वे अपने दावे को सच करके दिखा सकते हैं, मगर मोदी चाहेंगे ही क्यों?

उर्दू टाइम्स (18 दिसंबर) ने अपने मुख्य समाचार में यह दावा किया है कि देश के इतिहास में पहली बार मुसलमानों को सत्ता से बाहर कर दिया गया है। केंद्र सहित 15 राज्यों में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। देश में मुसलमानों की जनसंख्या लगभग 15 प्रतिशत है, जो हिंदुओं के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। हाल ही में हुए पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में मुसलमानों को सत्ता से पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है।

तेलंगाना, असम और गुजरात में भी कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है। भाजपा शासित राज्यों में तो एक भी मुस्लिम मंत्री बनने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि भाजपा के टिकट पर जीतकर एक भी मुस्लिम विधायक विधानसभा नहीं पहुंचा है। केंद्र में अल्पसंख्यक मंत्रालय की कमान स्मृति ईरानी के पास है, जोकि एक हिंदू हैं।

समाचारपत्र ने यह दावा किया है कि मोदी सरकार के पहले शासनकाल में नजमा हेपतुल्ला और मुख्तार अब्बास नकवी जैसे मुस्लिम नेताओं को मंत्री बनाया गया था। नकवी को दूसरी बार भी मंत्री बनाया गया था, मगर पिछले साल उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया। उमर अब्दुल्ला और शाहनवाज हुसैन एनडीए की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री थे, मगर आज केंद्र में कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है। सबसे उल्लेखनीय बात तो यह है कि देश के सात महत्त्वपूर्ण पदों पर कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है। इनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्यसभा में विपक्ष के नेता का पद शामिल है। इस समय देश में 28 राज्यपाल हैं, जिनमें से सिर्फ दो मुसलमान हैं। सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीश हैं, जिनमें से केवल एक ही मुसलमान है। देश के 29 राज्यों में से 15 में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है।

अगर आंकड़ों की बात करें तो 28 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों में से 25 हिंदू, दो ईसाई, एक बौद्ध और एक सिख है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा है कि वे नास्तिक हैं और वे किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। जम्मू-कश्मीर में पहले मुसलमान मुख्यमंत्री बनते थे, लेकिन 2019 के बाद से वहां पर चुनाव नहीं हुआ है। आजादी के बाद से केंद्र सरकार में हमेशा पांच-छह मुस्लिम मंत्री होते थे और उन्हें अनेक महत्त्वपूर्ण पदों से भी नवाजा जाता था। मुसलमान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तक बनाए गए। इंदिरा गांधी के शासनकाल में भी अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री मुसलमान थे।

मुंबई उर्दू न्यूज (17 दिसंबर) ने धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अमेरिकी आयोग की एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें कहा गया है कि भारत में अल्पसंख्यक निशाने पर हैं और वहां पर अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी और अधिकारों का हनन सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है।

उर्दू टाइम्स (26 दिसंबर) ने एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें यह दावा किया गया है कि भाजपा और मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद अल्पसंख्यकों के अधिकारों के हनन की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है। समाचारपत्र ने इस संदर्भ में हज सब्सिडी को समाप्त करने का उल्लेख किया है और कहा है कि हकीकत तो यह है कि देश के संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए जिन सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी उसे सरकार ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। इसके कारण मुसलमान हर क्षेत्र में पिछड़ते जा रहे हैं। मुसलमानों से संबंधित नगरों, भवनों और उनकी सांस्कृतिक पहचान से संबंधित यादगारों को जानबूझकर खत्म किया जा रहा है। देश के मुसलमानों को भय के माहौल में रखने के लिए कभी सीएए, कभी धर्मांतरण पर प्रतिबंध का कानून, कभी लव जिहाद तो कभी समान नागरिक संहिता का सहारा लिया जा रहा है। हालांकि, संविधान की धारा 25 के तहत हर व्यक्ति को

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, मगर इस हकीकत को कौन नहीं जानता कि हमारी मस्जिदों, दरगाहों और मजारों के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मदरसों के साथ-साथ आजम खान द्वारा स्थापित जौहर विश्वविद्यालय का जो हश्र किया गया वह भी सबके सामने है। वहीं, असम के 1281 मदरसों के अल्पसंख्यक स्वरूप को समाप्त करके उन्हें सरकारी स्कूलों में बदल दिया गया है और उर्दू भाषा को जानबूझकर समाप्त किया जा रहा है।

मुस्लिम लीग जम्मू–कश्मीर पर प्रतिबंध

सियासत (28 दिसंबर) के अनुसार केंद्र सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू-कश्मीर (मसरत आलम गुट) पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी है। उन्होंने बताया कि देश विरोधी गतिविधियों के कारण इस संगठन पर यूएपीए के तहत प्रतिबध लगाया गया है। यह संगठन जम्मू-कश्मीर में देशद्रोह व पृथकतावादी गतिविधियों में लिप्त है और आतंकी गतिविधियों का समर्थन करता है। यह गुट जनता को जम्मू-कश्मीर में इस्लामी हुकूमत स्थापित करने के लिए उकसाता है। अमित शाह ने कहा कि सरकार का यह स्पष्ट संदेश है कि जो भी हमारे राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ काम करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा और देश के कानून के तहत उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस संगठन का संस्थापक मसरत आलम 2019 से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 52 वर्षीय मसरत आलम के खिलाफ आतंकी फंडिग केस में मुकदमा दर्ज किया है। इस संगठन के कैडर पृथकतावादी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं और पाकिस्तान से संबंधित संगठनों सहित विभिन्न विदेशी स्रोतों से फंड इकट्ठा कर रहे हैं। इनका उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों की ज्वाला भड़काना और सुरक्षाबलों पर पथराव की घटनाओं के लिए फंडिंग करना है।

गृह मंत्री ने कहा कि यूएपीए एक्ट, 1967 के तहत केंद्र सरकार को जो अधिकार दिए गए हैं उसी का इस्तेमाल करते हुए इस संगठन को तुरंत गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस संगठन के संस्थापक मसरत आलम को 2010 में कश्मीर घाटी में व्यापक पैमाने पर देश विरोधी प्रदर्शनों के आयोजन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उसके खिलाफ सार्वजनिक सुरक्षा कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मसरत आलम के खिलाफ 27 एफआईआर सहित सार्वजनिक सुरक्षा कानून के तहत 36 बार मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मार्च 2015 में मसरत आलम को जेल से रिहा किया गया था। इसके बाद उसने राज्य में सत्तारूढ़ पीडीपी-भाजपा गठबंधन के खिलाफ प्रदर्शनों की शुरुआत की थी।

कर्नाटक में हिजाब पर प्रतिबंध बरकरार

मुंबई उर्दू न्यूज (24 दिसंबर) के अनुसार कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने हिजाब के मामले में अचानक यू-टर्न लेते हुए यह घोषणा की है कि कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेगा और इसे वापस लेने के बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। इससे पूर्व मैसूर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने यह घोषणा की थी कि सरकार राज्य के स्कूलों में हिजाब पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा रही है और इस संबंध में प्रशासन को निर्देश भी दे दिए गए हैं।

इंकलाब (22 दिसंबर) ने यह दावा किया है कि हिजाब के सवाल पर कर्नाटक में राजनीति शुरू हो गई है। राज्य के मुख्यमंत्री भाजपा और दक्षिणपंथी संगठनों के सांप्रदायिक दबाव के आगे झुक गए हैं और उन्होंने हिजाब पर प्रतिबंध हटाने की घोषणा के दूसरे ही दिन इस मामले पर यू-टर्न लेते हुए यह घोषणा की है कि सरकार ने इस संबंध में कोई विधिवत निर्णय नहीं किया है। बाद में जब भाजपा ने इस मामले पर राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ने की धमकी दी तो उन्होंने तुरंत अपना रंग बदलते हुए कहा कि सरकार ने इस प्रतिबंध को वापस नहीं लेने का फैसला किया है।

इत्तेमाद (24 दिसंबर) के अनुसार केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि कर्नाटक में हिजाब पर लगे प्रतिबंध को हटाने के फैसले से ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस सरकार मुस्लिम सांप्रदायिक तत्वों के आगे झुक गई है और उसका यह कदम राज्य में शरई कानून लागू करने की दिशा में है। यह सनातन धर्म को तबाह करने की योजनाबद्ध साजिश है। पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने कर्नाटक सरकार के इस फैसले की निंदा की है और कहा है कि यह मुसलमानों के तुष्टीकरण की नीति का एक हिस्सा है। जनता आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि क्या किसी मुस्लिम नेता ने कांग्रेस से यह मांग की थी कि हिजाब पर लगाए गए प्रतिबंध को वापस लिया जाए?

समाचारपत्र का कहना है कि कांग्रेस के कई नेताओं ने सिद्धारमैया द्वारा हिजाब पर लगे

प्रतिबंध को हटाने की घोषणा का उल्लेख करते हुए कहा था कि कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में यह वायदा किया था कि अगर वह सत्ता में आएगी तो इस प्रतिबंध को वापस ले लेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और राज्य में मंत्री प्रियांक खड़गे ने राज्य के स्कूलों में हिजाब पर लगे प्रतिबंध को हटाने के फैसले का जोरदार समर्थन करते हुए कहा था कि कांग्रेस सरकार संविधान और कानूनी फ्रेमवर्क के तहत काम कर रही है। भाजपा की पुरानी सरकार ने हिजाब पर जो प्रतिबंध लगाया था वह सामाजिक समरसता की भावना के खिलाफ है, इसलिए उस पर पुनर्विचार करने में कोई बुराई नहीं है। एक अन्य मंत्री मधु बंगारप्पा ने भी कहा है कि संविधान के तहत हर अल्पसंख्यक को अपनी आस्था और मजहब के अनुसार अनुसरण करने का अधिकार है, इसलिए पुरानी सरकार के इस फैसले पर पुनर्विचार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का यह फैसला कांग्रेस की सेक्युलरिज्म की भावना के अनुरूप है।

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले एक जनसभा में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने हिजाब पर प्रतिबंध हटाने की घोषणा करते हुए लिबास और खाने की स्वतंत्रता को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला करार दिया था और कहा था कि किसी भी व्यक्ति को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस मामले में वोट बैंक की राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। जनसभा में शामिल कुछ लोगों ने जब उनसे पूछा कि क्या हम हिजाब पहन सकते हैं तो उन्होंने कहा कि इस पर कोई पाबंदी नहीं है। आप हिजाब पहन सकते हैं और मैंने यह निर्देश दिया है कि कल से इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। उनकी इस घोषणा को भाजपा ने आने वाले लोकसभा चुनाव में चुनावी मुद्दा बनाने का जो संकेत दिया था उसके कारण कांग्रेसी मुख्यमंत्री को अपने फैसले से पलटना पड़ा है।

गौरतलब है कि भाजपा सरकार ने अपने शासकाल में शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था और यह विवाद एक राजनीतिक मुद्दा बन गया था। भाजपा सरकार के इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, लेकिन अदालत ने सरकार के इस फैसले का समर्थन किया था। अदालत ने कहा था कि शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को संस्थान और सरकार द्वारा निर्धारित यूनिफॉर्म को पहनना होगा।

मुंबई उर्दू न्यूज (25 दिसंबर) ने अपने संपादकीय का शीर्षक दिया है, 'और कांग्रेस बेहिजाब हो गई'। समाचारपत्र ने कहा है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हिजाब पर प्रतिबंध हटाने की घोषणा करने के बाद अपने इस बयान से पलट गए हैं और वे कह रहे हैं कि अभी हिजाब पर प्रतिबंध नहीं हटाया गया है। यह सच है कि हिजाब पर लगी पाबंदी को हटाना आसान नहीं है। इसका कारण यह है कि हिजाब पर प्रतिबंध हटाने की घोषणा होते ही भाजपा और

दक्षिणपंथी संगठनों ने बवाल मचाना शुरू कर दिया था और शायद आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री डर गए हैं। हालांकि, यदि वे चाहें तो आसानी से हिजाब पर लगे प्रतिबंध को हटा सकते हैं और उन्हें इस संबंध में कोई भी फैसला करने का संवैधानिक अधिकार है।

समाचारपत्र का कहना है कि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में हिजाब एक महत्त्वपूर्ण चुनावी मुद्दा बना और कांग्रेस ने बाकायदा यह घोषणा की कि अगर वह सत्ता में आई तो भाजपा सरकार द्वारा हिजाब पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा देगी। यह सच है कि इन दिनों राज्य में हिजाब पर कोई हंगामा नहीं है और हिजाब पहनी लड़कियां स्कूलों और कॉलेजों में जा रही हैं। अब मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद यह मुद्दा फिर से चर्चा का विषय बन गया है। ऐसे में यह जरूरी है कि कांग्रेस सांप्रदायिक टोले के दबाव में न आए और हिजाब पर प्रतिबंध हटाने की घोषणा कर दे। अगर सरकार ऐसा करती है तो मुसलमानों का कांग्रेस पर विश्वास और मजबूत हो जाएगा।

कौमी तंजीम (26 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में राज्य सरकार से मांग की है कि वह हिजाब पर पाबंदी हटाने के आश्वासन को पूरा करे और इस संबंध में किसी के दबाव में न आए, मगर दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश की कुछ शक्तियां वोट बटोरने के लिए समाज को विभाजित करने का प्रयास कर रही हैं। जिन पार्टियों के पास चुनाव में जनता से वोट मांगने का कोई ठोस मुद्दा नहीं होता वे इसी तरह से गैरजरूरी मुद्दों को उछालकर वोटों का ध्रुवीकरण करके सत्ता में आना चाहती हैं। अब लोकसभा के चुनाव को देखते हुए सांप्रदायिक पार्टियां ऐसे मामलों को उछालकर वोटों का ध्रुवीकरण करने का प्रयास करेंगी। अब जरूरी यह है कि हमें इस साजिश को समझते हुए चौकन्ना रहना चाहिए।

सियासत (24 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद इस बात की संभावना बढ़ गई थी कि कांग्रेस की नई सरकार पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा हिजाब पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने के अपने वायदे को पूरा करेगी, लेकिन भाजपा ने आने वाले लोकसभा चुनाव में वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इस मुद्दे पर जनांदोलन छेड़ने की जो धमकी दी थी और मुख्यमंत्री को दूसरा टीपू सुल्तान घोषित किया था उससे डरकर मुख्यमंत्री को अपनी घोषणा को वापस लेना पड़ा है। कांग्रेस सरकार को चाहिए कि वह इस संबंध में स्पष्ट रूप से यह घोषणा करे कि वह हिजाब पर लगाए गए प्रतिबंध को वापस ले रही है। इससे मुसलमानों में कांग्रेस के प्रति विश्वास में बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी संकेत दिया है कि हिजाब के मुद्दे पर सरकार विचार कर रही है और कांग्रेस पार्टी के विभिन्न नेताओं से बातचीत करने के बाद राज्य सरकार इस संबंध में कोई फैसला लेगी। कांग्रेस और मुख्यमंत्री दोनों को यह समझने की जरूरत है कि भोजन और लिबास लोगों की अपनी पसंद के अनुसार होना चाहिए और सरकारों को इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इसलिए जितना जल्दी संभव हो सके कांग्रेस सरकार इस संबंध में फैसला करे और अपने वायदे को पूरा करे। यही राज्य की जनता और सरकार के लिए उचित होगा। ■

मुस्लिम संगठन इमारत–ए–शरिया में विभाजन

मुंबई उर्दू न्यूज (16 दिसंबर) के अनुसार मुसलमानों का 100 वर्ष पुराना संगठन इमारत-ए-शरिया बिहार, उड़ीसा और झारखंड भी अन्य मिल्ली संगठनों की तरह विभाजन के कगार पर खड़ा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान अमीर-ए-शरीयत मौलाना वली फैसल रहमानी के खिलाफ इमारत-ए-शरिया की झारखंड इकाई ने विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया है। इस संबंध में वीडयो और तस्वीरें सोशल मीडिया में नजर आ रही हैं। वीडियो में मौलाना नजर तौहीद मजहरी इमारत-ए-शरिया, झारखंड के अमीर के तौर पर शपथ लेते नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि विभाजन का यह फैसला मजलिस-ए-उलेमा के बैनर तले एक बैठक में लिया गया है। मुफ्ती नजर तौहीद की बगावत की खबर जैसे ही सोशल मीडिया में वायरल हुई देश भर के मुसलमानों में बेचैनी की लहर दौड़ गई। इसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी, कर्नाटक के अमीर-ए-शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी, असम के अमीर-ए-शरीयत मौलाना यूसुफ अली, दारूल उलूम नदवा के मौलाना अलाउद्दीन नदवी सहित कई अन्य प्रमुख नेताओं ने मुफ्ती नजर तौहीद की इस हरकत की निंदा की। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वे इस साजिश को विफल बनाएं और मिल्ली एकता को बरकरार रखें।

पटना के फुलवारी शरीफ स्थित इमारत-ए-शरिया के केंद्रीय कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इमारत-ए-शरिया बिहार, उड़ीसा व झारखंड देश का एक पुराना और विश्वसनीय इस्लामी संगठन है। इस संगठन की स्थापना आज से सौ वर्ष पूर्व इस्लाम के महान चिंतक मौलाना अबुल मोहसिन मोहम्मद सज्जाद ने मुसलमानों को शरा के अनुसार जीवन व्यतीत करने और इस्लामी चिंतन के अनुसार एक अमीर के नेतृत्व में संगठित रहने के लिए की थी। इसका लक्ष्य यह था कि इस क्षेत्र के मुसलमान अल्लाह की मर्जी हासिल करने के लिए शरई कानून पर अमल करें और शरई उसूलों और कुरान के निर्देश के तहत अपना जीवन गुजारें। अपने शरई विवादों के समाधान के लिए इमारत-ए-शरिया से मार्गदर्शन लें और एक सच्चे मुसलमान की तरह कुरान और शरिया के निर्धारित नियमों के तहत जीवन गुजारें।

इस संगठन का मार्गदर्शन अब तक सात अमीर कर चुके हैं। सातवें अमीर-ए-शरीयत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी के निधन के बाद बिहार, उड़ीसा व झारखंड के मुस्लिम चिंतकों और शरिया के आलिमों ने आठवां अमीर मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी को चुना था। पिछले दो साल से वे कार्यभार संभाले हुए हैं और इमारत-ए-शरिया के विभिन्न कार्यों में काफी विकास भी हुआ है। झारखंड में अनेक स्थानों पर इस्लाम, कुरान और शरिया की शिक्षा के लिए अनेक संगठन स्थापित किए गए हैं। कई स्थानों पर दारूल कजा (शरई अदालतें) भी कार्य कर रही हैं। सैकड़ों जरूरतमंदों और विधवाओं को इमारत-ए-शरिया द्वारा भत्ता भी दिया जा रहा है। झारखंड के शरई विद्वानों और इस्लामी चिंतकों को संगठन से जोड़ने के लिए एक विशेष सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था, मगर दुर्भाग्य से इसके तुरंत बाद इस संगठन में विभाजन की शुरुआत हुई और मौलाना नजर तौहीद मजहरी ने अलग संगठन बनाने का प्रयास किया। समाचारपत्र ने अपील की है कि मुसलमानों को राजनीतिक साजिश का शिकार हुए बिना अपनी एकता और एकजुटता को बरकरार रखने की जरूरत है। गौरतलब है कि मुफ्ती नजर तौहीद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं और इमारत-ए-शरिया ट्रस्ट बोर्ड के भी सदस्य हैं।

टिप्पणी: मौलाना वली रहमानी के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी के चयन को लेकर भी विवाद उभरकर सामने आया था। इमारत-ए-शरिया के पूर्व नायब अमीर मौलाना शमशाद रहमानी ने यह घोषणा की थी कि नए अमीर का चुनाव 10 अक्टूबर 2021 को रांची में करवाया जाएगा, लेकिन विरोधी गुट ने इसे एक दिन पूर्व ही पटना में एक अधिवेशन बुलाकर समानांतर चुनाव करवाने की घोषणा कर दी थी। इस पर दोनों गुटों के बीच काफी मारपीट भी हुई थी। मौलाना फहद रहमानी ने पटना में एक संवाददाता सम्मेलन में 10 अक्टूबर को रांची में बुलाए गए अधिवेशन को अवैध घोषित किया था। इस विवाद को टालने के लिए नायब अमीर और उनके समर्थक शिबली कासमी ने इमारत-ए-शरिया कार्यसमिति की बैठक 30 अक्टूबर को रांची में बुलाई थी, मगर इससे पहले ही दूसरे गुट ने पटना में चुनाव करवाकर संगठन पर कब्जा कर लिया। बैठक में तीन नाम मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना अनीस उर रहमान कासमी और सैयद अहमद वली फैसल रहमानी के नाम पेश किए गए थे। बाद में कुछ लोगों ने शमशाद रहमानी और मौलाना नजर तौहीद का नाम भी पेश किया था, मगर हंगामे के दौरान इस बात की घोषणा की गई कि अमीर-ए-शरीयत के चुनाव में केवल दो उम्मीदवार मौलाना सैयद फैसल रहमानी और मौलाना अनीस उर रहमान कासमी ही मैदान में रह गए हैं। इस दौरान मतदान में भी काफी हंगामा हुआ। एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप भी लगाए गए, मगर इस्लामी विद्वानों और चिंतकों के हस्तक्षेप के कारण फैसल रहमानी को निर्वाचित

घोषित कर दिया गया। तभी से दोनों गुटों के बीच आपसी मतभेद चले आ रहे हैं।

2 जनवरी 2024 को इमारत-ए-शरिया से जुड़े मुस्लिम विद्वानों ने पटना में इमारत-ए-शरिया के कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह दावा किया कि इमारत-ए-शरिया में विभाजन के बारे में जो समाचार सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, उनमें कोई दम नहीं है। इमारत-ए-शरिया बिहार, उड़ीसा व झारखंड में कोई विभाजन नहीं हुआ है। एक वर्ग द्वारा इमारत-ए-शरिया, झारखंड के अलग होने का जो दावा किया जा रहा था उसका खंडन करने के लिए इस प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन किया गया था। मुस्लिम विद्वानों ने कहा कि इमारत-ए-शरिया शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कई क्षेत्रों में लगातार काम कर रही है। यह आरोप गलत है कि इमारत-ए-शरिया की अधिकृत धनराशि बिहार में खर्च की जा रही है और झारखंड की उपेक्षा की जा रही है। झारखंड से वार्षिक आमदनी 76 लाख रुपये की है। जबकि इमारत-ए-शरिया ने झारखंड में एक करोड़ तीन लाख रुपए खर्च किए हैं।

गौरतलब है कि इमारत-ए-शरिया की स्थापना 1921 में की गई थी। इसके कुल 87 कार्यालय हैं, जिनमें से झारखंड के 24 जिलों में से 16 जिलों में इमारत-ए-शरिया के कार्यालय हैं। फुलवारी शरीफ के बाद साल 1971 में रांची में इमारत-ए-शरिया का दूसरा कार्यालय खोला गया था। बिहार में मुसलमानों की आबादी 1 करोड़ 76 लाख और झारखंड में मुसलमानों की आबादी 48 लाख है।

पॉपुलर फ्रंट पर विदेशों से करोड़ों रुपये बटोरने का आरोप

हमारा समाज (24 दिसंबर) के अनुसार केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रतिबंधित इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संबंधित पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोग पॉपुलर फ्रंट के पदाधिकारी बताए जाते हैं। उन पर आरोप है कि हवाला के जरिए विदेशों से प्राप्त करोड़ों रुपये की धनराशि को वे देश में देशद्रोही गतिविधियों के संचालन और हिंसा की ज्वाला भड़काने के लिए उपयोग कर रहे थे। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान ई.एम. अब्दुल रहमान, अफसर पाशा, ए. एस. इस्माइल, मोहम्मद शाकिफ और अनीस अहमद के तौर पर की गई है। 2 मई 2018 को दर्ज एफआईआर के सिलसिले में हाल ही में इन आरोपियों से तिहाड़ जेल में ईडी ने पूछताछ की थी। यह पूछताछ 3 दिसंबर 2020 को पीएफआई

के विभिन्न कार्यालयों पर छापेमारी के दौरान बरामद दस्तावेजों के आधार पर की गई थी। गौरतलब है कि ये आरोपी एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे एक आतंकी मामले में पहले से ही तिहाड़ जेल में बंद थे। ये आरोपी देश के विभिन्न भागों में फ्रंट के बैंक खातों का संचालन करते थे। उनसे उनके बैंक खातों में संदिग्ध स्रोतों से प्राप्त करोड़ों रुपये के लेनदेन के सिलसिले में पूछताछ की गई थी, मगर वे संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए थे। तथ्यों को छिपाने के आरोप में उनसे गहराई से पूछताछ करने के उद्देश्य से ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है।

ई.एम. अब्दुल रहमान प्रारंभ से ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संबंधित था और इस प्रतिबंधित संगठन के सभी निर्णय और नीतियों के निर्धारण में उसका मुख्य हाथ था। यह व्यक्ति इससे पूर्व प्रतिबंधित आतंकी संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मुवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) से भी 1979-1984 तक जुड़ा रहा। जब सिमी पर प्रतिबंध लगाया गया तो वह नवगठित इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के महासचिव के रूप में कार्यरत रहा। 2009 से 2012 तक वह पॉपुलर फ्रंट का अध्यक्ष और फ्रंट की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष भी रहा। अब्दुल रहमान ने कई बार फ्रंट के अन्य पदाधिकारियों के साथ तुर्किये और अनेक अफ्रीकी देशों का दौरा किया। 2015-2020 तक वह फ्रंट के केरल के कोझीकोड स्थित सिंडिकेट बैंक के खातों का संचालन भी करता था।

जहां तक अनीस अहमद का संबंध है वह फ्रंट के आर्थिक मामलों का प्रमुख था। 2018 से 2020 तक वह फ्रंट का राष्ट्रीय सचिव था और उस पर फ्रंट के लिए आर्थिक संसाधनों की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी थी। वह फ्रंट का प्रवक्ता भी रहा। पॉपुलर फ्रंट राज्य स्तर पर धनराशि इकट्ठा करता था। हर जिले में एक जिला कमेटी होती थी। जब फंड इकट्ठा हो जाता तो उसे राज्य स्तर की कमेटी के खाते में जमा किया जाता था, जिसे बाद में राष्ट्रीय स्तर पर भिजवा दिया जाता था। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में इकट्ठा की गई धनराशि सीधे राष्ट्रीय स्तर के खातों में जमा करवाई गई।

अफसर पाशा भी पॉपुलर फ्रंट की विभिन्न महत्त्वपूर्ण गतिविधियों का हिस्सा रहा। वह फ्रंट के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का क्षेत्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव भी रहा। 2009-2010 तक वह फ्रंट की कर्नाटक इकाई का महासचिव रहा। 2009 में मैसूर में होने वाले सांप्रदायिक दंगों में उसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। विदेशी धन के बल पर उसने सरकार विरोधी आंदोलनों का संचालन भी किया। बेंगलुरु के कॉर्पोरेशन बैंक में फ्रंट के खातों का संचालन उसी के हस्ताक्षरों से होता था। वहीं, ए.एस. इस्माइल फ्रंट के संस्थापकों में से एक है। वह 2018-2020 तक फ्रंट के उत्तरी जोन का अध्यक्ष रहा। इसके अतिरिक्त वह फ्रंट की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद का सदस्य रहा। चेन्नई में फ्रंट के बैंक खातों का संचालन उसी के हाथों से होता था। मोहम्मद शाकिफ का संबंध भी फ्रंट से रहा। वह फ्रंट की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद का सदस्य रहा है।

धन्नीपुर मस्जिद का निर्माण कार्य मई से प्रारंभ

सियासत (19 दिसंबर) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर अयोध्या में वैकल्पिक मस्जिद के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने धन्नीपुर गांव में भूखंड अलॉट किया था। वहां पर बनने वाली मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का निर्माण कार्य 2024 के मई महीने से प्रारंभ होने की संभावना है। मस्जिद ट्रस्ट के सचिव अतहर हुसैन ने कहा कि फिलहाल इस मस्जिद के निर्माण की न तो कोई तैयारी है और न ही कोई योजना। निर्माण शुरू होने में कम-से-कम छह महीने लग सकते हैं। इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन की ओर से मई 2024 से मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। इस मस्जिद के निर्माण के लिए फंड इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है। इस फंड को इकट्ठा करने के लिए ट्रस्ट द्वारा विभिन्न राज्यों में प्रभारी नियुक्त किए जा रहे हैं। अतहर हुसैन ने कहा कि मस्जिद के निर्माण में इसलिए देरी हो रही है, क्योंकि इस मस्जिद के मॉडल में परिवर्तन किया गया है। इस मस्जिद का क्षेत्रफल लगभग 40 हजार वर्ग फुट होगा।

2019 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद अयोध्या के धन्नीपुर नामक गांव में मस्जिद निर्माण के लिए पांच एकड़ भूमि मुसलमानों को दी गई थी। हाल ही में मस्जिदों के इमामों के संगठन ऑल इंडिया राब्ता-ए-मस्जिद (एआईआरएम) ने अयोध्या जिले के धन्नीपुर गांव में प्रस्तावित मस्जिद का नाम पैगम्बर-ए-इस्लाम के नाम पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद रखने का फैसला किया था। मस्जिद का नया डिजाइन अगले महीने तक तैयार होने की संभावना है। इसके बाद इस डिजाइन को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। ट्रस्ट के सचिव का कहना है कि अब मस्जिद 15 हजार वर्ग फुट की जगह 40 हजार वर्ग फुट में बनाई जाएगी। इसमें मस्जिद के अतिरिक्त एक सामुदायिक अस्पताल, सामुदायिक रसोई और संग्रहालय भी होगा। इस बात की संभावना है कि इस मस्जिद की आधारशिला रखने के लिए काबा के इमाम को निमंत्रण दिया जाएगा।

सियासत (16 दिसंबर) के अनुसार मुंबई के भाजपा नेता हाजी अरफात शेख ने संवाददाताओं को बताया कि इस मस्जिद में दुनिया का सबसे बड़ा कुरान रखा जाएगा और यह 21 फुट ऊंचा और 36 फुट चौड़ा होगा। इस मस्जिद के निर्माण के लिए इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन का गठन जुलाई 2020 में किया गया था। पिछले साल के अक्टूबर महीने में फाउंडेशन के अध्यक्ष जुफर अहमद फारूकी ने इस मस्जिद के नामकरण की विधिवत घोषणा की थी। ■

विश्व

लाल सागर में हूती हमलों को रोकने के लिए दस देशों का गठबंधन

इत्तेमाद (20 दिसंबर) के अनुसार अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने यह घोषणा की है कि अमेरिका के नेतृत्व में दस देशों का एक गठबंधन बनाया गया है, जो लाल सागर में जहाजों पर हूती विद्रोहियों द्वारा किए जा रहे हमलों का मुकाबला करेगा। इस गठबंधन में बहरीन, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन आदि देश शामिल हैं। उन्होंने कहा कि विश्व के सभी देशों को चाहिए कि वे समुद्री यात्रा को शांत बनाने के लिए इस गठबंधन को सहयोग दें। गौरतलब है कि हाल ही में ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में विभिन्न देशों के जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं। हूतियों ने यह घोषणा की है कि वे उस समय तक इजरायल और उसके समर्थक देशों के जहाजों को अपना निशाना बनाएंगे, जब तक इजरायल गाजा की जनता को भोजन, पानी और अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं को सप्लाई करने की अनुमति नहीं देता। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि हूतियों की यह घोषणा विश्वभर के लिए चुनौती है और हम सब को मिलकर इससे निपटना होगा। कुछ देश मिलकर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए पेट्रोलिंग में भाग लेंगे। जबकि कुछ अन्य देश गुप्तचर जानकारी देकर इसमें सहायता करेंगे। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से यह अनुरोध किया है कि वह हूतियों के खिलाफ कार्रवाई करे।

इंकलाब (29 दिसंबर) के अनुसार अमेरिका ने यह आरोप लगाया है कि लाल सागर में जलयानों पर हूतियों के हमलों की योजना ईरान द्वारा बनाई जा रही है और इन हमलों में ईरान का सीधा हाथ है। ईरान ने हूतियों को ड्रोन, मिसाइल और तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। दूसरी ओर, ईरान ने इस आरोप का खंडन किया है और इसे बेबुनियाद बताया है। अमेरिका ने यह भी घोषणा की है कि लाल सागर में जलयानों की

सुरक्षा के लिए 20 देशों के नौसैनिकों का सहयोग लिया जा रहा है। ईरानी पासदारान-ए-इंकलाब के कमांडर ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और उसके सहयोगी देश गाजा में नरसंहार करते रहे तो ईरान लाल सागर को ब्लॉक कर देगा। हालांकि, उसने इस बात की घोषणा नहीं की है कि इसे कैसे ब्लॉक किया जाएगा। क्योंकि ईरान की लाल सागर में कोई पहुंच नहीं है।

मुंबई उर्दू न्यूज (24 दिसंबर) के अनुसार यमन के हूती विद्रोहियों ने गाजा में इजरायली सेना से लड़ने के लिए हजारों यमनी नागरिकों को भर्ती करने का काम शुरू कर दिया है। 'अल अरेबिया' के अनुसार सऊदी अरब के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अल-कुमाईम ने मीडिया के प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए कहा कि यह हूतियों की एक बहुत बड़ी गलती होगी। वे जबरन यमनी लोगों को इस युद्ध में झोंकना चाहते हैं। हाल ही में यमन की राजधानी साना में हूतियों द्वारा एक सैन्य परेड का आयोजन किया गया था, जिसमें भर्ती किए गए 20 हजार यमनी नौजवानों ने हिस्सा लिया था। इनलोगों ने यमनी लिबास पहन रखा था और इनके हाथों में यमन और फिलिस्तीन के झंडे थे। इससे पूर्व पिछले सप्ताह भी साना में एक अन्य सैन्य परेड़ का आयोजन किया गया था, जिसमें 16 हजार सैनिक शामिल हुए थे। इन्हें हाल ही में सैन्य प्रशिक्षण दिया गया था।

मुंबई उर्दू न्यूज (23 दिसंबर) के अनुसार यमन के हूती विद्रोही जलमार्ग से इजरायल और उसके समर्थक जहाजों को अपना निशाना बना रहे हैं। इनमें अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस के जहाज भी शामिल हैं। हूतियों के इन हमलों को देखते हुए कई शिपिंग कंपनियों ने अपने जहाज लाल सागर में भेजने से इंकार कर दिया है। इन हमलों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने जिन दस देशों का गठबंधन बनाने की घोषणा की है उसमें कौन-कौन से अरब देश भाग लेंगे यह अभी साफ नहीं है, लेकिन सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और जॉर्डन के इस गठबंधन में शामिल होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। समाचारपत्र ने चेतावनी दी है कि अगर इस युद्ध में ईरान शामिल होगा तो रूस और चीन भी खुद को इस युद्ध से अलग नहीं रख सकते और यह विश्वयुद्ध का रूप धारण कर सकता है।

मालदीव ने किया भारत के साथ हुए समझौते को रद्द

उर्दू टाइम्स (17 दिसंबर) के अनुसार मालदीव ने भारतीय नौसेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के साथ 2019 में हुए हाइड्रोग्राफिक सर्वे के समझौते को रद्द करने का फैसला किया है। इस समझौते पर जून 2019 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मालदीव दौरे के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। निवर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की ओर से भारत के साथ किए गए समझौते के तहत भारतीय नौसेना ने अब तक ऐसे 30 सर्वे किए हैं। इससे पहले वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने

मालदीव से भारतीय सेना को वापस बुलाने का भारत से अनुरोध किया था। अब उन्होंने इस समझौते को रद्द करने के अपने फैसले की जानकारी भारत सरकार को भी दे दी है।

इस समझौते के तहत भारतीय नौसेना को मालदीव में हाइड्रोग्राफिक सर्वे करने की अनुमति थी, ताकि वह नेविगेशन सुरक्षा, आर्थिक विकास, सुरक्षा, प्रतिरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और तटीय जोन के प्रबंध को बेहतर बना सके। मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय के एक वरिष्ठ प्रवक्ता ने कहा कि भविष्य में हाइड्रोग्राफी का सारा काम मालदीव द्वारा ही किया जाएगा और इस विभाग में सिर्फ मालदीव के लोगों को ही रखा जाएगा। प्रवक्ता ने कहा कि अगर पुरानी सरकार ने विदेशों के साथ कोई गुप्त समझौते किए हों तो उनका भी पुनर्निरीक्षण किया जाएगा। प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि पुरानी सरकार ने देश की संप्रभुता को खतरे में डाल दिया था।

गौरतलब है कि नई सरकार ने हाल ही में सत्ता संभाली है, जिसे आमतौर पर चीन समर्थक माना जाता है। सत्ता संभालने के बाद राष्ट्रपति मुइज्जू ने कहा था कि वे पुरानी सरकार के साथ हुए समझौते पर पुनर्विचार करेंगे, जिनमें 500 मिलियन डॉलर की लागत वाली ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जैसी परियोजना भी शामिल है। मालदीव का वर्तमान शासक उन भारतीय सैन्य सलाहकारों को भी मालदीव से निकालने पर अड़ा हुआ है, जो भारत की ओर से माले को तोहफे में दिए गए दो हेलीकॉप्टर और एक डोर्नियर विमान का संचालन और देखभाल करते हैं। बता दें कि मालदीव ने राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में भी भाग नहीं लिया था, जिसमें वह भारत, श्रीलंका और मॉरीशस के साथ सदस्य है।

रोजनामा सहारा (29 दिसंबर) के अनुसार वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने अपने चुनावी अभियान में 'इंडिया आउट' का नारा दिया था और उन्होंने कहा था कि सत्ता में आने के बाद उनके प्रतिद्वंद्वी और निवर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की 'इंडिया फर्स्ट' की नीति पर पुनर्विचार किया जाएगा। सत्ता की बागडोर संभालने के बाद वे दोनों देशों के संबंधों पर भी पुनर्विचार करेंगे। राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के तुरंत बाद मुइज्जू ने तुर्किये का दौरा किया था और उसके बाद मालदीव से भारतीय सैन्य सलाहकारों की वापसी की मांग करने लगे। भारत के साथ हाल ही में हाइड्रोग्राफिक सर्वे का जो समझौता रद्द किया गया है, वह मालदीव की नई सरकार की ओर से भारत विरोधी पहला फैसला है। हालांकि, इसके पांच बड़े आयातकों में भारत भी शामिल है। मालदीव की अर्थव्यवस्था पांच अरब 65 करोड़ डॉलर की है और इस पर सात अरब 67 करोड़ डॉलर का कर्ज है, जोकि 2028 तक बढ़कर 11 अरब डॉलर के लगभग हो जाएगा। सच तो यह है कि मोहम्मद मुइज्जू के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद भारत और मालदीव के संबंधों ने नया मोड़ लिया है।

इमरान खान के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध

औरंगाबाद टाइम्स (24 दिसंबर) के अनुसार इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने तोशाखाना केस के आरोपी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सजा को निलंबित करने के बारे में दी गई याचिका को रद्द कर दिया है। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के चुनाव में भाग लेने की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। इससे उनके प्रधानमंत्री बनने का दरवाजा भी बंद हो गया है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार इमरान खान की पार्टी पीटीआई को यह आशा थी कि इमरान खान जेल में रहने के बावजूद चुनाव लड़ सकेंगे, लेकिन अदालत के इस निर्देश के कारण उन्हें गहरा धक्का लगा है।

इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानत को मंजूर कर लिया था, लेकिन इमरान खान के खिलाफ कई अन्य मुकदमे विभिन्न अदालतों में विचाराधीन होने के कारण उन्हें जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। इमरान खान के समर्थक वकीलों का दावा है कि वे इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के इस फैसले को पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। पाकिस्तानी राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इमरान खान के चुनाव में खड़े होने के बारे में सर्वोच्च न्यायालय से कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है। पाकिस्तानी कानून के तहत जेल में बंद नेता केवल तभी चुनाव लड़ सकते हैं, जब उन्हें किसी मुकदमे में अपराधी घोषित करके सजा न दी गई हो।

5 अगस्त को निचली अदालत ने इमरान खान को तोशाखाना केस में दोषी करार दिया था और उन्हें इस मुकदमें में तीन साल की सजा दी गई थी। इस वजह से उनकी संसद की सदस्यता भी रद्द हो गई थी और उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद इमरान ने निचली अदालत के इस फैसले को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसे अब इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। अब इमरान खान की सजा बरकरार रहेगी। इससे पूर्व पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पीटीआई के चुनाव चिन्ह क्रिकेट बैट को चुनाव में इस्तेमाल करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया था। इस आदेश के बाद अब पीटीआई एक पार्टी के रूप में चुनाव नहीं लड़ सकेगी। उसे अपने उम्मीदवारों को या तो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतारना पड़ेगा या चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल के लिए अन्य क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करना पड़ेगा।

बांग्लादेश में चुनाव से पहले सेना की तैनाती

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (19 दिसंबर) के अनुसार बांग्लादेश में सात जनवरी से होने वाले आम चुनावों में सुरक्षा को चुस्त-दुरुस्त बनाने हेतु देश भर में सेना की तैनाती की जाएगी। यह जानकारी बांग्लादेश चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने दी है। बांग्लादेश चुनाव आयोग के सचिव मोहम्मद जहांगीर आलम ने पत्रकारों को बताया कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन ने आने वाले आम चुनाव में सेना को तैनात करने की विधिवत अनुमति दे दी है। यह फैसला राष्ट्रपति और मुख्य चुनाव आयुक्त काजी हबीबुल अवल की बैठक में किया गया है। इससे पहले चुनाव आयोग ने 7 जनवरी को होने वाले चुनावों की तैयारी हेतु 29 दिसंबर से 13 दिनों के लिए देशभर में सेना को तैनात करने की अपनी योजना की घोषणा की थी।

गौरतलब है कि बांग्लादेश के दो प्रमुख विपक्षी पार्टी जमात-ए-इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पहले ही इन चुनावों के बहिष्कार की घोषणा कर चुकी हैं। उन्होंने यह आरोप लगाया था कि जब तक शेख हसीना सत्ता में रहेंगी देश में निष्पक्ष वातावरण में चुनाव होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी शेख हसीना सत्ता में आने के लिए चुनाव में धांधली करने की आरोपी हैं। विपक्षी दल पिछले कई महीनों से वर्तमान सरकार के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। इस दौरान अनेक स्थानों पर हिंसा की घटनाएं भी हुई हैं। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि सरकार ने विपक्ष की आवाज को कुचलने के लिए सैकड़ों विपक्षी कार्यकर्ताओं को जेलों में बंद कर रखा है और देश में हुए प्रदर्शनों में पुलिस और सेना ने 200 से अधिक विपक्षी कार्यकर्ताओं की गोली मारकर हत्या कर दी है। सरकारी प्रवक्ता ने इस आरोप को मनगढ़ंत और झूठा बताते हुए कहा है कि सरकार निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न कराने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जो भी चुनावों के दौरान हिंसा फैलाएगा उसे सख्ती से कुचल दिया जाएगा।

पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई

रोजनामा सहारा (31 दिसंबर) के अनुसार पाकिस्तान में पिछले 47 वर्षों का महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया है। पाकिस्तानी आंकड़ा विभाग के अनुसार पाकिस्तान में पिछले दो महीने में महंगाई दर 31 प्रतिशत रही, जोकि अगस्त में 27 प्रतिशत थी। जबकि महंगाई की वार्षिक दर 38.4 प्रतिशत हो गई है। पाकिस्तानी आंकड़ा विभाग के अनुसार देश में खाने-पीने की वस्तुओं के मूल्य में 50-70 प्रतिशत की वृद्धि प्रतिवर्ष हो रही है। विशेषज्ञों ने यह आशंका व्यक्त की है कि आने वाले महीनों में इस महंगाई में और भी वृद्धि होगी। सरकारी विभागों द्वारा पेट्रोल, बिजली और गैस के दामों में भारी वृद्धि किए जाने का संकेत दिया गया है। इसके अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के दबाव पर सरकार को करों के बोझ में और भी वृद्धि करनी पड़ेगी। पाकिस्तान में निरंतर बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के कारण परिवारों की सामूहिक आत्महत्या में भी भारी वृद्धि हुई है। विश्व बैंक के अनुसार खाने-पीने की वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि के कारण देश में गरीबी बढ़ी है और आम जनता के लिए पेट भरना मुश्किल हो गया है। आर्थिक संकट, सरकारी अकुशलता, भ्रष्टाचार और नेताओं की अय्याशियों के कारण जनता में निराशा की भावना तेजी से बढ़ रही है।

ब्रिटेन के विख्यात अखबार 'फाइनेंशियल टाइम्स' ने अपने संपादकीय में कहा है कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से अब कोई नहीं बचा सकता है। अगर पाकिस्तान सरकार ने तुरंत कोई करिश्माई कदम नहीं उठाया तो देश की हालत श्रीलंका से भी बदतर हो जाएगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान पर इस समय 600 अरब डॉलर का कर्ज है। इन कर्जों के पुनर्निर्धारण में शामिल शर्तों के कारण महंगाई में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। संयुक्त राष्ट्र के संगठन यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 में पाकिस्तान की एक प्रतिशत आबादी ने देश की अर्थव्यवस्था का नौ प्रतिशत दोहन किया और उससे 314 बिलियन डॉलर हासिल किए थे। इसके मुकाबले में एक प्रतिशत निर्धन वर्ग ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का केवल 0.15 प्रतिशत ही हिस्सा प्राप्त किया था। पाकिस्तान के एक प्रतिशत उच्च वर्ग का देश की 50 प्रतिशत अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2018 में पाकिस्तान की 31.3 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहने पर मजबूर थी। 2020 में यह आंकड़ा बढ़कर 40 प्रतिशत के लगभग पहुंच गया। 2021 में कोरोना महामारी और 2022 में बाढ़, बेरोजगारी और महंगाई के कारण इस आंकड़े के 50 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है। विश्व बैंक का दावा है कि पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई के कारण केवल एक वर्ष की अवधि में ही गरीबी रेखा से नीच जीवन व्यतीत करने वालों की संख्या में 20 लाख की वृद्धि हुई है और 40 प्रतिशत आबादी को खाद्यान्न का संरक्षण प्राप्त नहीं है। पिछले साल बाढ़ का बहाना बनाकर प्रशासन ने आर्थिक विकास की दर 2.3 प्रतिशत कर दी थी। इस साल इसमें और भी कमी आने की संभावना है। ■

अफगानिस्तान के लिए विशेष दूत की नियुक्ति पर सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पारित

इंकलाब (31 दिसंबर) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान मामलों के लिए एक विशेष दूत की नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। विदेशी संवाद समिति 'एएफपी' के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 29 दिसंबर को एक प्रस्ताव स्वीकार किया है, जिसमें अफगानिस्तान के लिए एक विशेष दूत नियुक्त करने का फैसला किया गया है, ताकि वहां के तालिबान शासकों के साथ वार्तालाप का सिलसिला बढ़ाया जा सके। यह फैसला पिछले महीने एक स्वतंत्र रिपोर्ट के जारी होने के बाद किया गया था, जिसमें अफगानिस्तान से संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया गया था। हाल ही में पारित प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से मांग की गई है कि वे अफगानिस्तान की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक विशेष दूत की नियुक्ति की घोषणा करें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 13 सदस्य देशों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। जबकि रूस और चीन ने मतदान में भाग नहीं लिया। चीन के प्रतिनिधि ने इस प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को अफगानिस्तान के लिए विशेष दूत नियुक्त करने के मामले में सतर्क रहना चाहिए। हम समझते हैं कि अफगानिस्तान की समस्याओं का स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने के लिए यह जरूरी है कि अफगान शासकों के साथ संयुक्त राष्ट्र का नजदीकी और गहरा संपर्क हो, ताकि उनकी समस्याओं का निदान करने के कार्य में तेजी आ सके।

गौरतलब है कि अभी तक अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को विश्व के किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से वहां की महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने से वंचित रखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त उन्हें शिक्षा और खेल की सुविधा से भी वंचित रखा गया है। महिलाओं के खिलाफ तालिबान सरकार द्वारा लगाए गए इन प्रतिबंधों की पश्चिमी देशों और संयुक्त राष्ट्र ने कड़ी आलोचना की थी, मगर इसका तालिबान शासकों पर कोई असर नहीं हुआ। अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा था कि अफगानिस्तान एक इस्लामी देश है, जो शरिया के नियमों में आस्था रखता है और हम इस्लामी शरिया कानून को ही अपने देश में लागू कर रहे हैं। एक सच्चे मुसलमान होने के नाते इनको लागू करना हमारे कर्तव्यों में शामिल है। हमें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि दुनिया के लोगों का इसके बारे में क्या मत है।

आतंकी हाफिज सईद को भारत लाए जाने की चर्चा

मुंबई उर्दू न्यूज (29 दिसंबर) के अनुसार 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख आतंकी हाफिज सईद को भारत लाए जाने की चर्चा हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह दावा किया है कि भारत ने पाकिस्तान सरकार से यह मांग की है कि आतंकी हाफिज सईद को भारत के हवाले किया जाए, लेकिन भारत सरकार की ओर से इस संबंध में कोई पुष्टि नहीं की गई है। ईटीवी ने अपने उर्दू प्रसारण में यह दावा किया है कि भारत ने विधिवत रूप से लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद को भारत सरकार के हवाले करने की मांग की है, मगर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने इस अनुरोध पर चुप्पी साध रखी है।

गौरतलब है कि हाफिज सईद भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों की सूची में शामिल है। उसे 2008 में हुए मुंबई हमले और पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड भी माना जाता है। भारत में हुई अनेक आतंकी घटनाओं के पीछे भी हाफिज सईद का हाथ बताया जाता है। अमेरिका ने भी हाफिज सईद को आतंकवादी घोषित करते हुए उस पर एक करोड़ डॉलर के ईनाम की घोषणा की थी। कुछ साल पहले तक हाफिज सईद पाकिस्तान में स्वतंत्र रूप से घूम रहा था और अपने संगठन के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा था। अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण 2019 में हाफिज को पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया था और आतंकवाद को सहयोग देने के आरोप में अदालत ने उसे 15 साल कैद की सजा सुनाई थी। पिछले साल एक अन्य अदालत ने आतंकी गतिविधियों के लिए धनराशि इकट्ठा करने के आरोप में उसे 31 वर्ष कैद की सजा सुनाई थी। हाफिज सईद भले ही जेल में हो, मगर उसकी पार्टी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग पाकिस्तान में होने वाले चुनावों में अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है। हाफिज सईद के बेटे तल्हा सईद ने भी लाहौर से पाकिस्तान नेशनल असेंबली का चुनाव लड़ने की घोषणा की है। ऐसी स्थिति में इस बात की संभावना नहीं दिखाई देती है कि पाकिस्तान हाफिज सईद को भारत के हवाले करेगा।

कतर द्वारा भारतीय नौसेना के आठ पूर्व अधिकारियों की फांसी पर रोक

इंकलाब (29 दिसंबर) के अनुसार कतर की एक अदालत ने जासूसी के आरोप में भारतीय नौसेना के आठ पूर्व अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई थी। अब उनकी फांसी पर रोक लगाकर उसे उम्र कैद में बदल दिया गया है। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ भारत सरकार और आरोपियों के परिवारजनों द्वारा उच्च अदालत में की गई अपील के बाद यह फैसला किया गया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (29 दिसंबर) के अनुसार भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस समाचार की पुष्टि करते हुए कहा है कि हम प्रारंभ से ही इन भारतीय नागरिकों के साथ खड़े हैं और हम इस मामले को कतर के अधिकारियों के साथ उठाना जारी रखेंगे। जिस समय अदालत ने यह फैसला सुनाया उस समय कतर में भारतीय राजदूत और दूतावास के अन्य उच्चाधिकारी वहां पर मौजूद थे।

गौरतलब है कि इन आरोपियों को अक्टूबर महीने में कतर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। ये सभी भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी दोहा स्थित दहरा ग्लोबल कंपनी के कर्मचारी थे। इन्हें अगस्त 2022 में हिरासत में लिया गया था। मामला संवेदनशील होने के कारण कतर सरकार ने इन पर लगाए गए आरोपों की सार्वजनिक घोषणा नहीं की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि अदालत ने जो फैसला दिया है उसके विस्तृत प्रारूप के प्राप्त होने की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अगला कदम उठाने हेतु भारत सरकार वरिष्ठ विधिवेत्ताओं और आरोपियों के परिवारजनों के संपर्क में है। प्रवक्ता ने कहा कि क्योंकि यह मामला गोपनीय और संवेदनशील है, इसलिए इस संबंध में और अधिक टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।

गौरतलब है कि जिन अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई गई थी, वे कतर की एक निजी कंपनी में काम करते थे। यह कंपनी कतर की सशस्त्र सेना को प्रशिक्षण देती थी और उन्हें अन्य सुविधाएं भी प्रदान करती थी। इन पर इजरायल के लिए जासूसी करने का आरोप था। इस कंपनी में

काम करने वाले सभी अधिकारी भारतीय नौसेना से अवकाश प्राप्त हैं। जिन पूर्व अधिकारियों की सजा में कमी की गई है, उनमें कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन बीरेन्द्र कुमार वर्मा, कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर संजीव गुप्ता और नाविक रागेश शामिल हैं।

सहाफत (30 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अदालत द्वारा दिए गए इस फैसले को भारत सरकार की राजनयिक सफलता करार दिया जा रहा है। ये सभी कर्मचारी एक निजी कंपनी में काम करते थे और कतर की सशस्त्र सेना को प्रशिक्षण देते थे। भारत ने नौसेना के इन पूर्व अधिकारियों की फांसी की सजा के खिलाफ अपीलीय अदालत से संपर्क किया था। अच्छी बात यह है कि विदेश मंत्रालय ने इन सभी आरोपियों के परिवारजनों को भी अपने साथ रखने की पूरी कोशिश की। हालांकि, उनकी सजा में कटौती की गई है और यह राहत की बात है, लेकिन अभी तक उन्हें रिहा नहीं किया गया है। कोशिश यह होनी चाहिए कि उन्हें रिहा किया जाए। भारत का विदेश मंत्रालय इस संबंध में सक्रिय भी है। यह न केवल भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों और उनके परिवारजनों के लिए, बल्कि देश की प्रतिष्ठा का भी सवाल है। अगर इस केस में भारत सरकार पहले ही सक्रियता दिखाती तो शायद उन्हें फांसी की सजा देने की नौबत ही न आती।

समाचारपत्र का सुझाव है कि इस मामले से हम कई तरह की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। पहला तो यह कि भारतीयों को किसी भी संदिग्ध कंपनी में नौकरी नहीं करनी चाहिए। कतर की यह कंपनी एक परामर्शदात्री निजी कंपनी है और इसके मालिक को भी हिरासत में लिया गया था, लेकिन उसे एक सप्ताह के अंदर ही रिहा कर दिया गया। भविष्य में भारतीयों को सिर्फ ऐसी कंपनियों के साथ ही काम करना चाहिए जो विश्वसनीय हो। अल-दहरा जैसी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए और हिंदुस्तानियों को अपनी साख और सेवा के स्तर के साथ-साथ देश की प्रतिष्ठा को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं से अरब देशों में काम करने वाले लाखों भारतीयों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह लगता है। इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि दुनिया के सभी देशों में भारतीय न्याय व्यवस्था जैसी पारदर्शिता नहीं है, इसलिए यह जरूरी नहीं है कि भारतीयों को हर जगह आसानी से न्याय मिले।

अब्देल फतह अल-सिसी तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति निर्वाचित

इंकलाब (19 दिसंबर) के अनुसार मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी ने चुनाव में भारी सफलता प्राप्त करने के बाद तीसरी बार मिस्र की बागडोर संभाल ली है। मिस्र के चुनाव आयोग ने उनकी जीत की घोषणा करते हुए कहा है कि इस बार के चुनाव में उन्हें 89 प्रतिशत मत प्राप्त हुए हैं और वे तीसरी बार छह साल के लिए देश के राष्ट्रपति बन गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अल-सिसी के चुनावी अभियान के दौरान उनके द्वारा पेश की गई मिस्र की नई राजधानी की परियोजना से मतदाता काफी प्रभावित हुए। यह राजधानी 58 अरब डॉलर की लागत से काहिरा के पूर्व में बनाई जा रही है। मिस्र में राष्ट्रपति का चुनाव 10 से 12 दिसंबर के बीच हुआ। अल-सिसी के मुकाबले में तीन अन्य उम्मीदवार थे, जिन्हें शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। मिस्र के राष्ट्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष हाजेम हुसैन बदावी ने संवाददाताओं को बताया कि चुनाव में 66.8 प्रतिशत मतदाताओं ने हिस्सा लिया। जबकि 2018 के चुनाव में केवल 41

प्रतिशत मतदाताओं ने ही हिस्सा लिया था। उन्होंने इस साल के चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी को बेमिसाल करार देते हुए कहा कि इससे पूर्व मिस्र के इतिहास में किसी भी चुनाव में इतना मतदान नहीं हुआ था। अल-सिसी के विरोधी उम्मीदवारों में से रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी के नेता हाजेम उमर को साढ़े चार प्रतिशत मत प्राप्त हुए। जबकि वामपंथी विचारधारा वाली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार फरीद जहरान तीसरे स्थान पर रहे। वहीं, लिबरल पार्टी के उम्मीदवार अब्देल सनद यमामा चौथे स्थान पर रहे।

गौरतलब है कि इन दिनों मिस्र को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। गाजा में हमास और इजरायल के युद्ध के कारण सीमा पर भारी तनाव है और भारी संख्या में शरणार्थियों के मिस्र में प्रवेश करने से देश की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ा है। देश की करेंसी के मूल्य में भी कमी आई है और वार्षिक महंगाई दर में 36 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।

पृष्ठभूमि: मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी के भारत के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। 2023 के गणतंत्र दिवस के मौके पर मोदी सरकार ने उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। मिस्र में खाद्य संकट को देखते हुए गेहूं के विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबंध के बावजूद भारत ने काफी मात्रा में गेहूं मिस्र को भेजा था। राष्ट्रपति बनने से पहले अल-सिसी मिस्र के सेना प्रमुख थे और उन्होंने जुलाई 2013 में निर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को सत्ता से हटा दिया था। इसके एक साल के बाद अल-सिसी खुद राष्ट्रपति बन गए थे। अल-सिसी का जन्म 1954 में काहिरा के एक साधारण परिवार में हुआ था। 1977 में उन्होंने मिस्र की सैन्य अकादमी से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और इन्फेंट्री आर्मी में भर्ती हो गए। इसके बाद उन्होंने एक मशीनीकृत डिवीजन की कमान भी संभाली। बाद में उन्हें मिस्र की सैन्य खुफिया विभाग का प्रमुख बनाया गया।

मिस्र की राजनीति के पटल पर अल-सिसी 2011 में उभरे। तब उन्हें सेना में जनरल रहते हुए सशस्त्र बलों की सर्वोच्च परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया। उसी साल अरब स्प्रिंग का आंदोलन मिस्र में भी शुरू हुआ और लोग तत्कालीन राष्ट्रपति होस्नी मुबारक के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। जनाक्रोश को देखते हुए मुबारक को इस्तीफा देना पड़ा और देश का शासन सेना की सर्वोच्च परिषद ने संभाल लिया। मिस्र में उस दौरान मुस्लिम ब्रदरहुड नामक कट्टरपंथी इस्लामी संगठन का प्रभाव बहुत बढ़ गया था। जनरल अल-सिसी एक कट्टर मुसलमान माने जाते थे, इसलिए सेना ने उन्हें मुस्लिम ब्रदरहुड से संपर्क रखने का माध्यम बनाया। मुस्लिम ब्रदरहुड ने मिस्र में कट्टरवाद का प्रचार किया। जून 2012 में मुस्लिम ब्रदरहुड के प्रमुख नेता मोहम्मद मुर्सी मिस्र के राष्ट्रपति बने। मुर्सी ने अल-सिसी को सेना का प्रमुख और देश का रक्षा मंत्री बना दिया।

इसी बीच मिस्र की सेना ने देश में मुस्लिम ब्रदरहुड के कट्टरवाद का विरोध किया और देश में मुस्लिम ब्रदरहुड के खिलाफ उग्र प्रदर्शन शुरू

हो गए। लोग मुर्सी के त्यागपत्र की मांग करने लगे। बाद में जनरल अल-सिसी ने मुर्सी को सत्ता से हटाकर सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले ली और संविधान को निलंबित कर दिया। उन्होंने मिस्र में एक अंतरिम सरकार की स्थापना की। जबकि मुर्सी ने इस घटना को सैन्य तख्तापलट करार दिया। बाद में सेना ने मुस्लिम ब्रदरहुड को प्रतिबंधित कर दिया और मुस्लिम ब्रदरहुड के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जेलों में डाल दिया। जनवरी 2014 में अल-सिसी को फिल्ड मार्शल बना दिया गया, जोकि मिस्री सेना का सर्वोच्च पद है। इसके दो महीने के बाद देश में चुनाव हुए और सेना की सहायता से अल-सिसी ने सत्ता की बागडोर संभाल ली। 2014 में हुए चुनाव में अल-सिसी को 97 प्रतिशत मत मिले।

अल-सिसी मिस्र के लोगों को शिक्षा, रोजगार आदि के सुनहरे सपने दिखाकर सत्ता में आए थे, लेकिन कुछ समय बाद ही लोगों का सपना चूर-चूर हो गया। अल-सिसी आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह से विफल रहे, जिससे मिस्र की अर्थव्यवस्था को भारी धक्का लगा और 2016 में उन्हें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेना पड़ा। अब तक तीन बार इस कोष से मिस्र बहुत ही कड़ी शर्तों पर ऋण ले चुका है। इसी वजह से देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत ही खराब है। मिस्र की अर्थव्यवस्था पर सेना और सरकारी कंपनियां हावी हैं। बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी से मिस्र के लोगों में शासन के प्रति भारी गुस्सा है, मगर वे अपने गुस्से का इजहार प्रदर्शन से नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार ने कानून बनाकर 2013 से ही प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा रखा है।

2016 में जब अल-सिसी ने लाल सागर के दो द्वीपों की संप्रभुता सऊदी अरब सरकार को दे दी तो उसके खिलाफ मिस्र में जोरदार विरोध प्रदर्शन हुए, जिसे सेना की सहायता से अल-सिसी ने सख्ती से दबा दिया। अल-सिसी के विरोधी उन पर आरोप लगाते हैं कि वे तानाशाह हैं और उन्होंने विपक्षी दलों को पूरी तरह से देश में खत्म कर दिया है। अजीब बात है कि इसके बावजूद हाल के चुनाव में अल-सिसी को 89 प्रतिशत मत प्राप्त हुए हैं।

सीरिया में इजरायली हवाई हमले में शीर्ष ईरानी कमांडर की मौत

इंकलाब (27 दिसंबर) के अनुसार ईरान की सरकारी संवाद समिति 'आईआरएनए' का दावा है कि ईरान की मिलिशिया पासदारान-ए-इंकलाब (आईआरजीसी) के प्रमुख सलाहकार सैय्यद रजा मौसवी सीरिया की राजधानी दमिश्क पर हुए एक इजरायली हवाई हमले में मारे गए हैं। वे ईरान समर्थित 'एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस' नामक एक महत्त्वपूर्ण सैन्य नेटवर्क के कर्ताधर्ता थे। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने अपने प्रसारण को रोक कर उनके मारे जाने का समाचार प्रसारित किया और कहा कि वे सीरिया में आईआरजीसी के सबसे बड़े कमांडरों में से एक थे। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने उनके निधन पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि इजरायल को अपने इस अपराध की कीमत हर हाल में चुकानी पड़ेगी।

हमारा समाज (27 दिसंबर) के अनुसार दमिश्क में स्थित ईरानी राजदूत हुसैन अकबरी ने कहा है कि जब मौसवी अपने आवास पर जा रहे थे तो उन्हें इजरायल की तीन मिसाइलों ने अपना निशाना बनाया। गौरतलब है कि सीरिया में गृहयुद्ध के प्रारंभ से ही वहां पर भारी संख्या में ईरानी सेना मौजूद है। इसी सेना के सहयोग से सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद को सत्ता में आने में काफी सहायता मिली थी। गौरतलब है कि इससे पहले अमेरिका ने 2020 में इराक स्थित आईआरजीसी के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी

को इराक में मौत के घाट उतार दिया था। लेबनान में सक्रिय ईरान समर्थक मिलिशिया हिजबुल्लाह ने भी मौसवी के मारे जाने की निंदा की है और कहा है कि इसका बदला हर हालत में लिया जाएगा।

इत्तेमाद (29 दिसंबर) के अनुसार आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कहा है कि हम अब इजरायल का खात्मा करके ही दम लेंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता सैयद अली खामेनेई ने तेहरान में मौसवी की नमाज-ए-जनाजा अदा की। इसके बाद मौसवी को नजफ स्थित शिया कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया।

इंकलाब (31 दिसंबर) के अनुसार अरब मीडिया ने दावा किया है कि दमिश्क हवाई अड्डे पर इजरायली हमले में आईआरजीसी के कम-से-कम 11 वरिष्ठ अधिकारी मारे गए हैं। वे एयरपोर्ट पर एक ईरानी प्रतिनिधिमंडल के स्वागत के लिए आए थे। दूसरी ओर, ईरानी मीडिया ने इस दावे का खंडन किया है और इसे बेबुनियाद बताया है।

सऊदी अरब में विदेशी हज यात्रियों का पंजीकरण प्रारंभ

उर्दू टाइम्स (27 दिसंबर) के अनुसार सऊदी सरकार ने विदेशी हज यात्रियों हेतु 2024 के लिए पंजीकरण का कार्य प्रारंभ कर दिया है। सऊदी सरकार ने घोषणा की है कि हज करने के इच्छुक व्यक्ति 'नुसुक हज' ऐप पर आवेदन करें। इस ऐप पर एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ओशिनिया के लोग आवेदन कर सकते हैं। हज के लिए पंजीकरण के बारे में अधिक जानकारी hajj.nusuk.sa वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। गौरतलब है कि यह ऐप वन-स्टॉप-शॉप प्लेटफॉर्म है, जिसकी देखरेख हज और उमरा मंत्रालय करता है। यह हाजियों को विभिन्न हज पैकेज के बारे में जानकारी देता है। पिछले वर्ष जो हज हुआ था, उसमें कोरोना महामारी के बाद पहली बार विदेशियों को हज करने की अनुमति दी गई थी और विश्व भर के साढ़े 18 लाख हाजियों ने हज किया था, जिनमें 16 लाख 60 हजार 900 हाजी विदेशों से सऊदी अरब पहुंचे थे। सरकार ने अगले महीने तीसरा हज और उमरा सम्मेलन का आयोजन करने का फैसला किया है। इसमें हज का प्रबंध करने वाले विश्वभर के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे, जिनमें हज और उमरा की व्यवस्था करने वाली कंपनियों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य हाजियों को दी जाने वाली सुविधा को बेहतर बनाना है।

उर्दू टाइम्स (16 दिसंबर) के अनुसार ईरानी हज यात्री आठ साल के बाद उमरा अदा करने के लिए सऊदी अरब की यात्रा कर सकेंगे। ईरानी मीडिया के अनुसार सऊदी सरकार का यह फैसला सऊदी अरब और ईरान के बीच संबंधों में सुधार का नया संकेत है। अर्धसरकारी संवाद समिति 'फारस' के अनुसार ईरानी यात्रियों को ईरान के दस विभिन्न हवाई अड्डों से सऊदी अरब के मक्का और मदीना जाने का अवसर दिया

जाएगा। ईरानी उमरा यात्रियों का पहला दस्ता सऊदी अरब रवाना हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीन के प्रयास से ईरान और सऊदी अरब के बीच 2016 के बाद फिर से राजनयिक संबंध स्थापित हुए हैं।

गौरतलब है कि 2016 में एक शिया विद्वान को अरब सरकार द्वारा फांसी देने और उसके जवाब में तेहरान में हुए सऊदी दूतावास पर हमले के बाद दोनों देशों के राजनयिक संबंध समाप्त हो गए थे। 2016 के बाद से ईरानी नागरिकों को सिर्फ हज यात्रा करने की अनुमति थी। बताया जाता है कि आने वाले दो महीनों में उमरा अदा करने के लिए 70 हजार ईरानी यात्रियों के सऊदी अरब जाने की संभावना है। दूसरी ओर, ईरान ने घोषणा की है कि सऊदी अरब के जो भी नागरिक ईरान आएंगे उन्हें वीजा लेने की जरूरत नहीं होगी। ईरान के पर्यटन मंत्री इज्जतुल्ला जर्गहामी ने कहा है कि ईरान 33 अन्य देशों के नागरिकों को भी वीजा के प्रतिबंध से मुक्त करने पर विचार कर रहा है। इन देशों में भारत भी शामिल है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (22 दिसंबर) के अनुसार इस वर्ष के हज यात्रियों के लिए मक्का में आवास की सुविधा में विस्तार किया जा रहा है। अब तक 166 इमारतों को हज यात्रियों के ठहरने के लिए लाइसेंस उपलब्ध कराए गए हैं। इससे हज यात्रियों के निवास के लिए निर्धारित भवनों की संख्या पांच हजार से भी अधिक हो जाएगी। जिन नए भवनों में हज यात्रियों को ठहराने की अनुमति दी गई है, उनमें कमरों की संख्या 26 हजार से भी अधिक है। इन भवनों में 11 लाख से अधिक हज यात्री ठहर सकेंगे। ■

ईरान में इजरायल के लिए जासूसी करने के आरोप में चार व्यक्तियों को फांसी

उर्दू टाइम्स (30 दिसंबर) के अनुसार ईरान में इजरायल के लिए जासूसी करने और इजरायली गुप्तचर एजेंसी मोसाद के साथ मिलकर हिंसा फैलाने के आरोप में चार व्यक्तियों को फांसी दी गई है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। जिन लोगों को अजरबैजान में फांसी पर लटकाया गया है, उनमें वफा हनारेह, अरम ओमरी, रहमान परहाजो और नसीम नमाजी शामिल हैं। इन लोगों को पिछले साल पड़ोसी देश से ईरान में दाखिल होते हुए गिरफ्तार किया गया था। ये कई वर्षों से ईरानी गुप्तचर विभाग की निगरानी में थे। इन चारों आरोपियों ने ईरान के कुछ सैनिक अधिकारियों का अपहरण करके उनसे महत्त्वपूर्ण सुराग प्राप्त किए थे और ये सुराग इजरायल को उपलब्ध कराए गए थे।

अदालत में पेश की गई चार्जशीट के अनुसार इन पर इजरायल की गुप्तचर एजेंसी मोसाद के साथ गठजोड़ करके आतंकी गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का आरोप है। गौरतलब है कि 16 दिसंबर को ईरान के एक अन्य प्रदेश सिस्तान में भी एक व्यक्ति को इजरायल के लिए जासूसी करने के आरोप में फांसी दी गई थी। जबकि नवंबर महीने में इसी आरोप में चार अन्य लोगों को भी फांसी पर लटकाया गया था।

RNI No. DELHIN/2017/72722

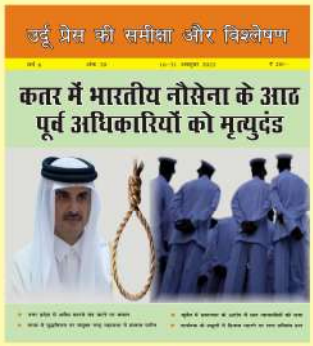

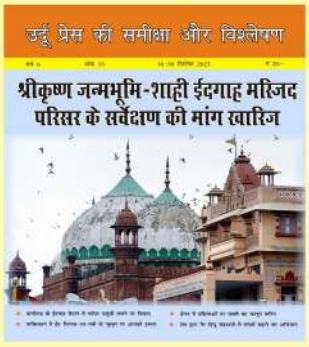

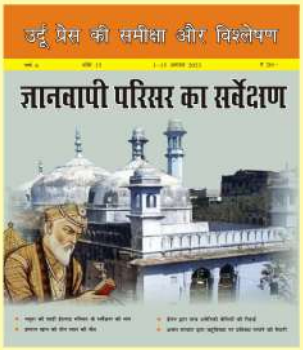

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in